

कार्यालय कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी, जिला नारायणपुर (छ0ग0)

Email - dpsonpr@gmail.com

फोन नंबर - 07781-252387.

- निविदा प्रपत्र -

भाग दो - व्यावसायिक भाग

प्रति,

कलेक्टर एवं
प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी
जिला नारायणपुर

महोदय,

मैं आत्मज नीचे दर्शाए गए फर्म का संचालक/प्रबंधक/प्रतिनिधि हूँ। मेरे द्वारा निविदा क्रमांक दिनांक भरने के लिए निर्धारित शर्तों एवं निविदा प्रक्रिया का भली-भांति अध्ययन कर लिया गया है जो कि मुझे स्वीकार्य है। मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने अथवा मेरे द्वारा निर्देश पालन में उदासीनता बरती जाने की दशा में मेरे विरुद्ध निविदा के शर्तों के तहत और/अलावा कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। मैं अपने एजेंसी/फर्म की ओर से निम्नानुसार दर प्रस्तुत करता हूँ -

1. एजेंसी / फर्म का नाम एवं पूरा पता

2. संचालक/प्रबंधक का नाम एवं पूरा पता

मोबाईल नम्बर

ईमेल-आईडी

क्र	कार्मिक का प्रकार	नियोजन हेतु प्रस्तावित संख्या	पारिश्रमिक प्रतिमाह प्रति कर्मचारी
1	तकनीकी सहायता कार्मिक	10	
2	एमटीएस (चतुर्थ श्रेणी)	02	

टीप :- उपरोक्त दर सभी प्रकार के कर/EPF/ESIC/G.S.T./I.T. इत्यादि शामिल कर भरा जावे।

स्थान :

दिनांक :

निविदाकार का हस्ताक्षर

पूरा नाम

1/2/1

9. अमानत राशि का विवरण

बैंक ड्रॉफ्ट क्रमांक दिनांक

जारीकर्ता बैंक का नाम

राशि रु.

में आत्मज

ऊपर दर्शाए गए फर्म का संचालक/प्रबंधक/प्रतिनिधि हूँ (प्रतिनिधि होने पर वैधानिक अधिकार पत्र संलग्न करें) मेरे द्वारा निविदा में दिए गए समस्त शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है और मुझे स्वीकार है। कोई भी तथ्य असत्य पाये जाने पर किसी भी स्तर पर मेरा निविदा अमान्य/निरस्त किया जा सकेगा।

संलग्न :

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

स्थान :

दिनांक :

निविदाकार का हस्ताक्षर

पूरा नाम

कार्यालय कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी, जिला नारायणपुर (छ0ग0)

Email - dpsonpr@gmail.com

फोन नंबर - 07781-252387,

- निविदा प्रपत्र -

भाग एक - तकनीकी भाग

प्रति,

कलेक्टर एवं
प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी
जिला नारायणपुर

महोदय,

आपके कार्यालय से जारी निविदा क्रमांक/.....
दिनांक..... के विरुद्ध मेरे द्वारा व्यावसायिक भाग में दर पस्तुत किया जा रहा है। मेरे फर्म का विवरण
निम्नानुसार है :-

1. एजेंसी / फर्म का नाम एवं पूरा पता

2. श्रम विभाग का पंजीयन क्रमांक/दिनांक

3. टीन नम्बर

4. पेन नम्बर

5. जी.एस.टी. नम्बर

6. वित्तीय वर्ष 2018-19 का

आय कर रिटर्न जमा करने का दिनांक

7. संचालक/प्रबंधक का नाम एवं पूरा पता

मोबाईल नम्बर

ईमेल-आईडी

8. निविदा प्रस्तुतकर्ता का नाम एवं पूरा पता

मोबाईल नम्बर

ईमेल-आईडी

- में डाटा संग्रहण, CMMS Portal में प्रविष्टि व Microsoft Word, Excel, Power Point & Internet में कार्य करने में दक्ष हों। एमटीएस (चतुर्थ श्रेणी) कार्मिक के लिए कक्षा आठवी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
10. नियोजन हेतु अपेक्षित तकनीकी कार्मिकों की कुल संख्या 10 है। जिनके पारिश्रमिक आदि पर 18 माह में समस्त कर/शुल्क सहित कुल 3600000/- रु. तथा एमटीएस (चतुर्थ श्रेणी) कार्मिकों की कुल संख्या 02 है जिनके पारिश्रमिक आदि पर 18 माह में कुल 504000/- रु. व्यय प्रावधानित है।
 11. निविदाकार को तकनीकी भाग के साथ कुल लागत का 3 प्रतिशत के बराबर राशि का अमानत जमा करना अनिवार्य होगा जो बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में कलेक्टर, जिला नारायणपुर के नाम स्थानीय बैंक शाखा में देय होगा।
 12. नियोजित किये गये कार्मिकों को जिले के भीतर कहीं भी पदस्थ किया जा सकता है।
 13. नियोजित कार्मिकों को एजेंसी द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन करते हुए प्रतिमाह पारिश्रमिक का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
 14. नियोजित कार्मिकों को इस नियोजन के आधार पर किसी भी स्थिति में शासकीय सेवा में नियुक्ति पाने अथवा संविलियन की पात्रता नहीं होगी। जुलाई 2021 के पश्चात् इनकी सेवाएँ स्वतः समाप्त हो जावेगी।
 15. निविदा में एजेंसी द्वारा अंकित दर में समस्त प्रकार के कर व शुल्क शामिल होंगे। एजेंसी को निविदा में अंकित दर के आलावा अन्य कोई भुगतान या आर्थिक लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।
 16. निविदा प्रपत्र में दो भाग है। प्रथम भाग तकनीकी भाग तथा दूसरा भाग व्यावसायिक भाग है। वेण्डर द्वारा इन दोनों भागों को भरकार दो पृथक-पृथक लिफाफों में सील बंद कर लिफाफों के ऊपर निविदा का नाम तथा अपना नाम व पता का उल्लेख करते हुए कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी, जिला नारायणपुर का पता अंकित कर जमा किया जावेगा। प्रथम भाग के लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में "तकनीकी भाग" तथा दूसरे भाग के लिफाफे के ऊपर "व्यावसायिक भाग" लिखा हुआ होना चाहिए।
 17. तकनीकी भाग के साथ एजेंसी/फर्म का श्रम विभाग में पंजीयन का प्रमाण पत्र/टीन नम्बर/पैन नम्बर/जीएसटी/वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न की कॉपी /अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो तो) तथा अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया जावे।
 18. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ तथा संलग्न किए गए प्रत्येक दस्तावेज पर निविदाकार का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
 19. फर्मों से प्राप्त निविदा प्रपत्र 29/02/2020 को अपरान्ह 4.00 बजे कलेक्टर कार्यालय जिला नारायणपुर में खोला जायेगा। इस अवसर पर संबंधित निविदाकार अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
 20. प्रतिनिधि द्वारा निविदा भरने अथवा निविदा खोलते समय उपस्थित रहने के लिए विधि अनुसार अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 21. एजेंसी द्वारा भुगतान प्राप्त करने के पूर्व समस्त प्रकार के करों/शुल्कों का भुगतान कर रसीद की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 22. निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर के आधार पर कोई एजेंसी/फर्म अपने दर की स्वीकृति के लिए दावा नहीं कर सकता। दर चयन हेतु क्रय समिति का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।
 23. निविदा में प्राप्त दर पर क्रय समिति की सहमति न होने की दशा में निगोशिएशन किया जा सकेगा।

कार्यालय कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी, जिला नारायणपुर (छ0ग0)

Email - dpsonpr@gmail.com

फोन नंबर - 07781-252387.

- निविदा प्रपत्र -

क्रमांक / 27 / जनगणना 2021 / 2019-20 /

नारायणपुर, दिनांक 29 / 01 / 2020

भारत की जनगणना 2021 एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अद्यतन कार्य के लिए जिला कार्यालय नारायणपुर, समस्त तहसीलों व नगरीय निकाय में तकनीकी सहायता हेतु कुल 10 कार्मिकों तथा एमटीएस (चतुर्थ श्रेणी) कार्मिक के 02 पदों पर माह फरवरी 2020 से जुलाई 2021 तक कुल 18 माह की अवधि के लिए एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति किया जाना है। इस हेतु इच्छुक पंजीकृत फर्मो/Placement Agency/Labour Supplier/Contractor/Registered NGO से दिनांक 29/02/2020 को अपराह्न 03.00 बजे तक बन्द लिफाफे में दर आमंत्रित है। निविदा की शर्तें निम्नानुसार है :-

1. निविदा प्रपत्र में दिनांक 30 जनवरी 2020 से 29 फरवरी 2020 तक प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 01.30 बजे तक निविदा प्रपत्र को मूल्य 500/- रु. नगद जमा कर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
2. निविदा प्रपत्र जिले की वेबसाईट www.narayanpur.gov.in से डाउनलोड कर उपयोग करने की स्थिति में 500/- रु. जमा करने की पावती संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व यदि निविदाकार कोई भी आवश्यक जानकारी चाहते हों तो कलेक्टर कार्यालय के जनगणना शाखा में कार्यालयीन समय पर संपर्क किया जा सकता है।
4. कार्यालय कलेक्टर जिला नारायणपुर द्वारा सील लगा हुआ जारी निविदा प्रपत्र ही मान्य किया जावेगा। यदि किसी फर्म/वेण्डर द्वारा जिले के वेबसाईट से डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र भरा है तो उक्त प्रपत्र को जमा करने से पूर्व निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यालय का सील लगवाना अनिवार्य होगा।
5. निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन पाए जाने अथवा निविदाकार द्वारा अंकित किए गए दर में कौट-छौट अथवा उपरिलेखन पाए जाने पर निविदा अमान्य किया जा सकता है।
6. निविदाकार की ओर से कोई भी शर्त मान्य नहीं होगा।
7. निविदा प्रपत्र के दो भाग है। प्रथम "तकनीकी भाग" व द्वितीय "व्यावसायिक भाग"। निविदाकार द्वारा प्रस्तुत तकनीकी भाग में कोई भी कमी पाए जाने पर निविदाकार द्वारा प्रस्तुत व्यावसायिक भाग नहीं खोला जावेगा। क्रय समिति चाहे तो कमी पाए गए दस्तावेज बाद में प्रस्तुत करने का अवसर दे सकता है।
8. निविदा दर मान्य होने की स्थिति में संबंधित फर्म को अनुबद्ध पत्र निष्पादित कराना होगा और निर्देशित संख्या में तकनीकी सहायता तथा चतुर्थ श्रेणी कार्मिक कार्यादेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
9. अपूर्तिकर्ता फर्म/एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया गया तकनीकी सहायता कार्मिक की न्यूनतम योग्यता कम्प्यूटर में स्नातक अथवा किसी विषय में स्नातक डिग्री के साथ कम्प्यूटर में स्नोतकोत्तर पत्रोपाधि के साथ ही मोबाईल